BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(2022-2023)

S.N.1092/Admn./Guest Faculty/2022

Bhopal , Date 23/05/2022

:: EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES ::

Applications on prescribed form are invited from eligible candidates for **Empanelment of Guest Faculties** in various teaching departments. The candidates should be also well familiar with online teaching on various web platforms. The university reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel subject to the requirement of the departments/courses. Complete application along with relevant documents should be submitted to the respective Head of the Department latest by 07 June 22 For prescribed form and other details please visit the university website: www.bubhopal.ac.in

Registrar

Barkatullah University, Bhopal

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

Hoshangabad Road, Bhopal

Application form for Empanelment of Guest faculty

Photo

1. **Department:** ______________________ **Subject** ____________
2. **Name (Block Letters) :** ________________________________
3. **Father's Name:** __________________________
4. **(a). E-mail** **(b) Mobile No.**
5. **(a) Date of Birth:** **(b) Marital Status**
6. **(a) Gender: Male/Female** **(b). Category: SC/ST/OBC//PH/GEN**
7. **Nationality:**
8. **Address for Communication:** ______________________________
9. **Educational Qualifications (Submit self attested copies of documents along with the application):**

Examination	Name of Board /University	Year of Passing	Percentage of Marks/GPA	Division/Grade
Ph.D				
JRF				
NET				
SET				

10. **Teaching Experience (if any)** .. ________________________________
    (a). teaching experience

Year	No. of Class	
	UG	PG

(b). Computer Knowledge (Ms office/Coral etc,)______________________________________
(c). Submit a ppt of a lecture on any relevant topic______________________________________

P.T.O. ...2...

11. Research Experience and Publications. (Attach Copies)

12. Declaration :

I declare that above information given in the application form is true as per best of my knowledge and belief. I also undertake that if, at any stage, the information given by me is found to be false, to the satisfaction of the concerned authority, my application shall be rejected as Guest Faculty and might be terminated with immediate effect.

Name and Signature of the Candidate

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

The Following departments require guest faculty for the session 2022-23

S.N.	Name of department	Subjects to be taught
1.	Biochemistry & Genetics	Biochemistry, Genetics
2.	Bioscience	Bioscience, Zoology, Botany,Agriculture
3.	Microbiology	Microbiology, Agronomy
4.	Biotechnology	Biotechnology
5.	Limnology & Environmental Science	Limnology & Environmental Science
6.	Zoology and Applied Aquaculture	Zoology and Applied Aquaculture
7.	Earth Science	Geology /Applied Geology, Remote sensing
8.	Physics	Physics
9.	Computer Science	Computer Science
10.	Electronics	Electronics
11.	Comparative Language and Culture	Sanskrit, Linguistics, Hindi, English and Urdu
12.	Persian	Persian
13.	Arabic	Arabic
14.	Commerce	Commerce
15.	Regional Planning and Economic Growth	Economics, Geography, History
16.	Psychology	Psychology
17.	Sociology & Social work	Sociology, Political Science
18.	Women's Study	Women's study
19.	Law	Law, Pol. Science, Economics, Sociology, Hindi, English
20.	Continuing Education and Extension	Education
21.	Yoga	Yoga
22.	Physical Education	Physical Education, Human anatony and Biochemistry
23.	CRIM	Management
24.	Pharmacy	Pharmacy
25.	**Engineering (BUIT)**	-----------------------
	Computer Science Engineering	Electronics&Communication Engineering,
	Electronics& Communication Engineering	Computer Science Engineering
	Mechanical Engineering	Mechanical Engineering,
	IT	IT,
	Civil Engineering	Civil Engineering,
	Electrical Engineering	Electrical Engineering,
	Computer Application,	Computer Application,
	Physics, Nano Technology,	Physics, Nano Technology,
	Chemistry	Chemistry
	Mathematics	Mathematics

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

अतिथि शिक्षक/आमंत्रित विद्वान विशिष्ट विद्वानों के चयन/पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता आदि के निर्धारण हेतु प्रस्तावित विनियम/दिशा–निर्देश (वर्ष 2022–23)

(I) अतिथि शिक्षक

1. सामान्य

1.1 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।

1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है इसके लिये संबंधित अतिथि शिक्षक को इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा ।

1.3 यदि कोई अतिथि शिक्षक को इम्पैनेलमेंन्ट किया जाता है एवं वह कहीं कार्यरत है, तो उसे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उनका आवेदन आमान्य किया जा सकेगा।

1.4 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में इम्पैनलमेंट किये गये अतिथि शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग में भी व्याख्यात दे सकेगे। जिसका मानदेय संबधित विभाग द्वारा दिया जायेगा। परन्तु कुल मानदेय की प्रति माह सीमा रू 35000/– अधिकत्तम से ज्यादा नहीं होगी।

1.5 अतिथि शिक्षक की किसी भी हेसियत से विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत नियूक्त नही माने जायेंगे ।

2. पैनल बनाने की प्रकिया

2.1 अतिथि शिक्षक के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभयार्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति के लिये । प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार समाचार पत्र में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।

2.2 अकादमिक सत्र के मध्य में अतिथि शिक्षक पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा संबंधित विभाग के सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है ।

2.3 विज्ञापन के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित विभागाध्यक्ष के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंकसूचियां एवं प्रमाणपत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा ।

2.4 एक से अधिक विषयों में पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को अलग–अलग विषय हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होगे।

2.5 पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही करना या नही करना, विश्वविद्यालय को अधिकारी होगा ओर इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही होगा ।

2.6 विभागाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि पैनल में शामिल अभ्यार्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये पाठयक्रम/विशेषज्ञता को ध्यान रखते हुये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दे ।

निरंतर....2....

3. समिति

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष एंव विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के दो अन्य शिक्षकों के सहयोग से करंगे । इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलपतिजी से प्राप्त करनी होगी ।

3.2 पैनल तैयार करने के लिये समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(1)	विभागाध्यक्ष	–	अध्यक्ष
(2)	संकायध्याक्ष	–	सदस्य
(3)	विभाग/संकाय/वि.वि. का शिक्षक	–	सदस्य (कुलपतिजी द्वारा नामित)

4. अर्हता के मापदण्ड

4.1 यू.जी.सी द्वारा अधिसूचित नियमानुसार पीएच.डी. उपाधि मान्य होगी।

4.2 पैनल बनाने की प्रकिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी वरीयता निम्नानुसार रहेगा ।

(1) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर न्यूनतम 55% अंक के साथ एवं पीएच.डी.(U.G.C Regulation 2009) के साथ नेट या सेट उत्तीर्ण ।

(2) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएच.डी.(U.G.C Regulation 2009) |

(3) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा नेट/स्लेट/गेट उपाधि ।

(4) As per the condition of regulatory authon ties.

4.3 अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी ।

4.4 पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्होने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो,के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत के अंक होने चाहिए ।

4.5 अतिथि शिक्षकों को वरीयता देने के लिये उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के अंकों के साथ अध्यापन कार्य के लिये अधिभार अंकों को जोड़कर गणना में लिया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अुनभव के लिये 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड के मध्य चार अंक तथाा 101 से 150 कालखण्ड के माध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में किये गये शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा।

4.6 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं निशक्त जनो को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार अधिभार देय होगा।

निरंतर....3....

4.7 दिनांक 11.07.2009 के पश्चात दूरस्थ माध्यम से अर्जित पीएच.डी एवं एम.फिल की उपाधि मान्य नही होगी ।

4.8 बी.यू.आई.टी, सी.आर.आई.एम. फार्मेसी, विधि शिक्षण आदि विभागों में संचालित व्यावसायिक पाठयक्रमों हेतु योग्यता निर्धारण/वरियताक्रम संबंधित नियामक आयोगों के मापदण्डों के अनुसार होगा ।

4.9 अभ्यर्थी को आनलाइन कक्षा संचालित करने की जानकारी होनी चाहिए।

4.10 आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा अतिथि व्याख्याता कक्षा की लिंक विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं पीपीटी के द्वारा कक्षा लेंगे। इन पीपीटी को विभागाध्यक्ष को भेजना अनिवार्य है। (आवश्यकता के अनुसार)

5. मानदेय

5.1 कार्यालयीन आदेश 1936/प्रशा/2019 दिनांक 16/10/2019 के अनुसार अतिथि शिक्षक को प्रति कालखण्ड रूपये 500/- देय होंगे। अधिकतम 3 कालखण्ड प्रति कार्य दिवस, अधिकतम मानदेय- रू. 35000/-प्रतिमाह।

5.2 यदि अतिथि शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त परीक्षा संबंधी कार्य कराए जाते है तो विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर उक्त कार्यो हेतु अधिकतम (10) कालखण्ड का पारिश्रमिक रू. 5000/- (पॉच हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर स्वीकृत किया जा सकता है। यदि एक से अधिक शिक्षक उक्त कार्य को करते है, तो भी अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उन्हें भुगतान की पात्रता होगी। यह उन्हीं विभागों के लिये होगा जहां शिक्षकों की संख्या 2 से कम एवं विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक है।

5.3 मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

5.4 इम्पैनेल्ड अतिथि शिक्षक, विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही अपनी समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों से सम्पर्क कर सकेंगे।

6. निरन्तरता

6.1 अगले सत्र में पैनल तैयार किये जाने तक विभागाध्यक्ष/निर्देशक चाहे तो कुलपतिजी से अनुमोदन उपरान्त पूर्व पैनल को निरन्तर रख सकते है।

(II) आमंत्रित विद्वान

1 विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के साथ शोध कार्य भी संचालित है। अतः विषय के विशिष्टीकरण (specialization) के आधार पर विभागाध्यक्ष/निर्देशक आवश्यकतानुसार कुलपतिजी के अनुमोदन के पश्चात पेशेवर/शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में कार्यरत विद्वान/शिक्षकों/वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित विद्वान के रूप में विभाग में व्याख्यान के लिये आमंत्रित कर सकेगें ।

निरंतर....4....

2. आमंत्रित विद्वानों/शिक्षकों/विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 1000/– मानदेय देय होगा, साथ ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भी देय होगी।

3. मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

(III) विशिष्ट विद्वान

1. छात्र, विश्वविद्यालय, एवं 'समाज' – तीनों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक स्तर पर विशिष्ट व्याख्यानों का समय– समय पर आयोजन किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित संकायाध्यक्ष करेंगे। विद्वानों एवं विषयों का चयन कुलपतिजी से परामर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा।

2. विशिष्ट व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 5000/– मानदेय देय होगा।

3. आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय अतिथि माना जाएगा तथा उनकी यात्रा भत्ता एवं स्थानीय आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

4. मानदेय की राशि वि.वि. द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल